



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09082024-256238
CG-DL-E-09082024-256238

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3059]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 7, 2024/श्रावण 16, 1946

No. 3059]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 7, 2024/SHRAVANA 16, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2024

का.आ. 3209(अ).— चूंकि, केन्द्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 78 (ई) दिनांक 4 फरवरी 1999 द्वारा गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर किमी 0.000 से किमी 381.600 (अहमदाबाद - गुजरात/महाराष्ट्र सीमा खंड) और किमी 381.600 से किमी 502.270 (गुजरात/महाराष्ट्र सीमा से महाराष्ट्र राज्य में मुंबई तक) तक का खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् “प्राधिकरण” कहा गया है) को सौंपा है

अतः अब केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 और समय-समय पर संशोधित (जिसे इसके पश्चात् “नियम” कहा जाए) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और का.आ. 403 (ई) दिनांक 5 फरवरी 2009 की अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में एनएच-8 के सूरत-दहिसर खंड के किमी 263.000 से किमी 502.000 तक छह लेन वाले खंड के उपयोग हेतु सड़क खंड की निवल लंबाई 231.008 कि.मी. तथा 79.920 कि.मी. (जिसकी लंबाई 7.992 कि.मी. है) कुल लंबाई की समकक्ष बुनियादी ढांचा (जिनकी लंबाई 60 मीटर से अधिक है) हेतु सारणी 1 के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट यांत्रिक वाहनों पर सारणी 1 के स्तंभ (2) (जिसे इसके पश्चात् “आधार दर” कहा जाए)

में विनिर्दिष्ट दर से शुल्क उद्धरीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरा वाले)	2.20
तीन धुरा वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरा वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरा वाले)	4.20

- नीचे लिए जाने वाला एवं संग्रहित किए जाने वाला शुल्क निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए उल्लिखित सड़क की निवल लम्बाई हेतु देय और भुगतान योग्य होगा:

तालिका-2		
शुल्क प्लाजा का स्थान (जरीब-दूरी)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क भुगतान योग्य है	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
गुजरात राज्य के नवसारी जिले में बोरियाच गांव के पास एनएच-48 के डिजाइन किमी 297.300 (मौजूदा किमी 297.300) पर	52.493	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
गुजरात राज्य के वलसाड जिले में भगवाडा गांव के पास एनएच-48 के डिजाइन किमी 356+200 (मौजूदा किमी 356+200 पर) पर	60.635	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में चारोटी गांव के पास एनएच-48 के डिजाइन किमी 420+340 (मौजूदा किमी 420+340 पर) पर	56.953	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में खानीवाडे गांव के पास एनएच-48 के डिजाइन किमी 467+220 (मौजूदा किमी 467+200 पर) पर	60.927	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

- उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बुनियादी ढांचाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी बुनियादी ढांचाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तन करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं पर निम्नलिखित शुल्क भी देय और भुगतान योग्य होगा:-

तालिका - 3			
शुल्क प्लाजा का स्थान (जरीब-दूरी)	सड़क की लम्बाई के समान परिवर्तित बुनियादी ढांचा की लम्बाई*(कि.मी.)	समकक्ष सड़क लंबाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
गुजरात राज्य के नवसारी जिले में बोरियाच गांव के पास एनएच-48 के डिजाइन किमी 297.300 (मौजूदा किमी. 297.300) पर	2.707 [^]	27.07	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
गुजरात राज्य के वलसाड जिले में भगवाडा गांव के पास एनएच-48 के डिजाइन किमी 356+200 (मौजूदा किमी 356+200 पर) पर	2.365 ^{^^}	23.650	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में चारोटी गांव के पास एनएच-48 के डिजाइन किमी 420+340 (मौजूदा किमी 420+340 पर) पर	0.447 ^{^^^}	4.470	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में खानीवाडे गांव के पास एनएच-48 के डिजाइन किमी 467+220 (मौजूदा किमी 467+200 पर) पर	2.473 ^{^^^^}	24.730	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

[^] विवरण निम्नानुसार है;

क्रम सं.	चेनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (कि.मी. में)
	कि. मी. से	कि. मी. तक		
1	266.240	266.310	बड़ा पुल	0.070
2	269.310	269.402	फ्लाईओवर	0.092
3	271.639	271.728	बड़ा पुल	0.089
4	282.771	283.084	बड़ा पुल	0.313
5	284.610	285.745	फ्लाईओवर	1.135
6	298.181	298.393	बड़ा पुल	0.212
7	300.360	300.455	फ्लाईओवर	0.095
8	308.785	308.944	फ्लाईओवर	0.159
9	304.733	304.838	बड़ा पुल	0.105

10	306.560	306.655	आर ओ बी	0.095
11	312.019	312.135	फ्लाईओवर	0.116
12	316.160	316.306	बड़ा पुल	0.146
13	318.743	318.823	बड़ा पुल	0.080
कुल				2.707

^^^विवरण निम्नानुसार है;

क्रम सं.	चेनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (कि.मी. में)
	कि. मी. से	कि. मी. तक		
1	327.178	327.260	बड़ा पुल	0.082
2	333.108	333.204	फ्लाईओवर	0.096
3	335.808	335.984	बड़ा पुल	0.176
4	337.154	337.588	फ्लाईओवर	0.434
5	338.354	338.420	बड़ा पुल	0.066
6	343.586	343.835	बड़ा पुल	0.249
7	353.040	353.135	आर ओ बी	0.095
8	353.553	353.648	फ्लाईओवर	0.095
9	357.667	357.813	बड़ा पुल	0.146
10	363.194	363.606	फ्लाईओवर	0.412
11	365.114	365.267	फ्लाईओवर	0.153
12	367.787	368.053	बड़ा पुल	0.266
13	374.760	374.855	फ्लाईओवर	0.095
कुल				2.365

^^^विवरण निम्नानुसार है;

क्रम सं.	चेनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (कि.मी. में)
	कि. मी. से	कि. मी. तक		
1	393.344	393.456	फ्लाईओवर	0.112
2	397.551	397.639	बड़ा पुल	0.088
3	417.920	417.983	बड़ा पुल	0.063
4	419.375	419.559	बड़ा पुल	0.184
कुल				0.447

^^^विवरण निम्नानुसार है;

क्रम सं.	चेनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (कि.मी. में)
	कि. मी. से	कि. मी. तक		
1	442.992	443.236	बड़ा पुल	0.244
2	454.766	454.884	बड़ा पुल	0.118
3	470.018	470.188	बड़ा पुल	0.170
4	478.842	478.937	फ्लाईओवर	0.095
5	489.543	489.627	बड़ा पुल	0.084
6 (क)	496.189	496.745	बड़ा पुल (एलएचएस- 0.556)	0.737
6 (ख)	495.868	496.786	बड़ा पुल (आरएचएस- 0.918)	
7	499.588	500.613	फ्लाईओवर	1.025
कुल				2.473

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता/रहती हो, उसके लिए वर्ष 2024-25 के लिए मासिक पास की दर रूपए 340.00/- (तीन सौ चालीस रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-4		
देय राशि	अनुमत्य एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैद्यता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है उसमें पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

6. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली के नियम 10 के उप नियम 1ए में उल्लिखित शुल्क के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस सड़क, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।
8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।
9. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
10. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 781.66 करोड़ रुपए है। पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. एनएचएआई/13013/सीओ/पीआईयू-सूरत/सूरत-दहिसर/संशोधित/शुल्क अधिसूचना/2023/ई-234448]

सुमन प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2024

S.O. 3209(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O 78 (E) dated 4th February 1999 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km 0.000 to km 381.600 (Ahmedabad – Gujarat/Maharashtra Border Section) and from Km 381.600 to 502.270 (Gujarat/Maharashtra Border to Mumbai in state of Maharashtra) of National Highway No. 48 in the State of Gujarat to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the “said Rules”) and in supersession of the notification bearing S.O NO. 403 (E) dated 5th February 2009, the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table 1 (hereinafter referred to as “Base Rate”) for net road section length of 231.008 km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 79.920 km (having length of 7.992 km) on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of Six lane section of Surat-Dahisar Section of NH-8 from km 263.000 to Km 502.000 in the State of Gujarat and Maharashtra and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely :—

Table 1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20

Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Fee Plaza(s) for net road length specified for such Fee Plaza(s):

Table 2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Design km 297.300 (Existing km. 297.300) of NH-48 near village Boriach in Navsari District of Gujarat State	52.493	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
At Design km 356+200 (at Existing km. 356+200) of NH-48 near village Bhagwada in Valsad district of Gujarat State	60.635	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
At Design km 420+340 (at Existing km. 420+340) of NH-48 near village Charoti in Palghar district of Maharashtra State	56.953	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
At Design km 467+220 (at existing km. 467+200) of NH-48 near village Khaniwade in Palghar district of Maharashtra State	60.927	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of permanent bridges, structure and bypass having length more than 60 m at following fee plaza(s), by converting the length of structures into equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10 as given below :-

Table 3			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures [^] (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Design km 297.300 (Existing km. 297.300) of NH-48 near village Boriach in Navsari District of Gujarat State	2.707 [^]	27.07	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
At Design km 356+200 (at Existing km. 356+200) of NH-48 near village Bhagwada in Valsad district of Gujarat State	2.365 ^{^^}	23.650	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
At Design km 420+340 (at Existing km. 420+340) of NH-48 near village Charoti in Palghar district of Maharashtra State	0.447 ^{^^^}	4.470	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
At Design km 467+220 (at existing km. 467+200) of NH-48 near village Khaniwade in Palghar district of Maharashtra State	2.473 ^{^^^^}	24.730	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

^The details are as under:-

Sr. No.	Chainage		Type of Structure	Length (in Km)
	From Km	To Km		
1	266.240	266.310	Major Bridge	0.070
2	269.310	269.402	Flyover	0.092
3	271.639	271.728	Major Bridge	0.089
4	282.771	283.084	Major Bridge	0.313
5	284.610	285.745	Flyover	1.135
6	298.181	298.393	Major Bridge	0.212
7	300.360	300.455	Flyover	0.095
8	308.785	308.944	Flyover	0.159
9	304.733	304.838	Major Bridge	0.105
10	306.560	306.655	ROB	0.095
11	312.019	312.135	Flyover	0.116
12	316.160	316.306	Major Bridge	0.146
13	318.743	318.823	Major Bridge	0.080
Total				2.707

^^The details are as under:-

Sr. No.	Chainage		Type of Structure	Length (in Km)
	From Km	To Km		
1	327.178	327.260	Major Bridge	0.082
2	333.108	333.204	Flyover	0.096
3	335.808	335.984	Major Bridge	0.176
4	337.154	337.588	Flyover	0.434
5	338.354	338.420	Major Bridge	0.066
6	343.586	343.835	Major Bridge	0.249
7	353.040	353.135	ROB	0.095
8	353.553	353.648	Flyover	0.095
9	357.667	357.813	Major Bridge	0.146
10	363.194	363.606	Flyover	0.412
11	365.114	365.267	Flyover	0.153
12	367.787	368.053	Major Bridge	0.266
13	374.760	374.855	Flyover	0.095
Total				2.365

^^^The details are as under:-

Sr. No.	Chainage		Type of Structure	Length (in Km)
	From Km	To Km		
1	393.344	393.456	Flyover	0.112
2	397.551	397.639	Major Bridge	0.088
3	417.920	417.983	Major Bridge	0.063
4	419.375	419.559	Major Bridge	0.184
Total				0.447

^^^^The details are as under:-

Sr. No.	Chainage		Type of Structure	Length (in Km)
	From Km	To Km		
1	442.992	443.236	Major Bridge	0.244
2	454.766	454.884	Major Bridge	0.118
3	470.018	470.188	Major Bridge	0.170
4	478.842	478.937	Flyover	0.095
5	489.543	489.627	Major Bridge	0.084
6 (a)	496.189	496.745	Major Bridge (LHS- 0.556)	0.737
6 (b)	495.868	496.786	Major Bridge (RHS- 0.918)	
7	499.588	500.613	Flyover	1.025
Total				2.473

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs. 340/- (Rupees Three Hundred and Forty Only) for the year 2024-25 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Table 4		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said rules.
8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.
9. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language.
10. The estimated capital cost of the project is Rupees. 781.66 Crore. The capital cost is subject to variation as the activities of Land acquisition, utility shifting, tree cuttings etc. The Authority shall maintain a record of recovery of Capital cost through user fee realised.

[F. No. NHAI/13013/CO/PIU-Surat/Surat-Dahisar/Revised/FeeNotification/2023 /E-234448]

SUMAN PRASAD SINGH, Jt. Secy.